FORM NO IH
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग

गोपाली वगै0 वगै0 बनाम रामा वगै0

मुकदमा किस्मः— अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, नम्बर :- 70 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6.08.2024	सायलान के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. पर सायलान के विद्वान वकील तथा गैर सायलान संख्या 01 लगायत 03 व 8 की ओर से श्री मुकेश कुमार एडवोकेट उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं क्षति सायलान के पक्ष में प्रतीत होती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए दर्ज रजिस्टर किया जावे। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व गैर सायलान इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 506/0.38, 507/0.18, किता–02 रकबा 0.56 हैक्टे0 वाके ग्राम नगला कोकला तहसील डीग जिला डीग में स्थित आराजीयात पर मजाहमत मदाखलत नहीं करने तथा रिकार्ड व मौका की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु गैर सायलान को आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.09.2024 तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। गैर सायलान की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस से कराई जावे। यदि उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में किसी को कोई उज्र हो तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करें। आयन्दा पत्रावली वास्ते तलबी गैर सायलान रजिस्टर्ड ए.डी.कराई जाकर दिनांक 27.09.2024 को पेश हो। Ravi (डॉ0रवि कुमार गोयल) उपखण्ड अधिकारी डीग	
27-9-24	[illegible] पीठासीन अधिकारी अवकाश/राज्य कार्य से भ्रमण पर/मीटिंग में [illegible] पधारे हैं। वकील वादी/प्रतिवादी ने -------- पेश किया। शामिल पत्रावली होकर पूर्वानुसार दि० 19-11-24 को पेश हो।	
22-10-24	आज पत्रावली प्रा. पत्र के आधार पर तलब की गई। मूल दावा को वादीगण चलाना नहीं चाहते का पेश किया। सुना गया। मूल दावा खारिज किया जा चुका है इसलिए न्यायालय द्वारा जारी स्टे दि. 16.8.24 खारिज किया जाता है। पत्रा. फैसल शुमार होकर नत्थी [illegible] हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी डीग (डीग) राज.	नि. गोपाली रामसिंह देशराज सुमेर कुबेरसिंह identified by me [signature]

Scanned with OKEN Scanner